

द्व-मेल

पत्रांक-21/रा0सू0आ0(न्याय)-11/2022, सा.प्र.15838/

287

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 आफाक अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार
पुलिस महानिदेशक, बिहार।

संयुक्त सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना।

सभी आयोग के सचिव।

बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

बिहार के सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/

क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक।

बिहार के सभी जिला पदाधिकारी।

बिहार के सभी पुलिस अधीक्षक।

बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव।

पटना-15, दिनांक-31-8-26.

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No-990/2021 में पारित आदेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार सूचना आयोग का पत्रांक-614, दिनांक-06.08.2026 एवं विभागीय पत्रांक-9032, दिनांक-21.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि Writ Petition (Civil) No-990/2021 किशन चंद जैन बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 को राज्य के सभी विभागों/कार्यालयों में लागू करने/करवाने हेतु बिहार सूचना आयोग का पत्रांक-653, दिनांक-22.10.2024, पत्रांक-196, दिनांक-09.05.2025 एवं पत्रांक-1734, दिनांक-06.03.2026 एवं विभागीय पत्रांक-9032, दिनांक-21.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। परन्तु अबतक धारा 4 के अनुपालन में वांछित सूचना का स्वप्रेरण प्रकटन सभी लोक प्राधिकारों (विभाग/सक्षम प्राधिकार/प्रमंडल/जिला/विश्वविद्यालय आदि) द्वारा नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा-4 के आलोक में, नियमित अंतराल पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से (जिसके अंतर्गत इंटरनेट, वेबसाइट आदि भी हैं) सूचना प्रकाशित करने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

कृ०पृ०उ०

d:\section 21\letter.docx

27/10
02/09/26

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

(मो० आफाक अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/रा०सू०आ०(न्याय)-11/2022 सा.प्र. 5838/पटना-15, दिनांक-31.8.26

प्रतिलिपि- बिहार सूचना आयोग, पटना को उनके पत्रांक-614, दिनांक-06.08.2026 के आलोक में एवं आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग को ईमेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञापांक-01/सू०अ०-विविध-202/2025 1909 पटना, दिनांक- 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी उप निदेशक, ईख विकास/विशेष ईख पदाधिकारी, पटना एवं गोपालगंज/सभी ईख पदाधिकारी/सभी अवर सचिव तथा सभी लोक सूचना पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग (क्षेत्रीय) को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० प्रबंधक को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए प्रेषित।

अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (सिविल) नं०-990/2021 में पारित न्यायादेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के अनुपालन के लिए नियमित अंतराल पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से (जिसमें इंटरनेट वेबसाइट आदि भी है।) सूचना प्रकाशित करना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय, ताकि आम जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम का कम-से-कम सहारा लेना पड़े।

(अरुण कुमार)

लोक-सूचना पदाधिकारी-सह-
अवर सचिव।

पत्रांक-21/रा0सू0आ0(न्याय)-11/2022, सा.प्र. 9032 /

(725)
(284)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार
पुलिस महानिदेशक, बिहार।
सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना।
सभी आयोग के सचिव।
बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
बिहार के सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक।
बिहार के सभी जिला पदाधिकारी।
बिहार के सभी पुलिस अधीक्षक।
बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव।

पटना-15, दिनांक 21.5.25

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No-990/2021 में पारित आदेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार सूचना आयोग का पत्रांक-196, दिनांक-09.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि Writ Petition (Civil) No-990/2021 किशन चंद जैन बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक-17.08.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश पारा-26 एवं 27 निम्न है:-

"reasons stated above, we direct that the Central information Commission and the State Information commissions shall continuously monitor the implementation of the mandates of Section 4 of the Act as also prescribed by the Department of Personnel and Training in its Guidelines and Memorandums issued from time to time. The directions will also include instructions under O.M. dated 07.11.2019 issued by the Department. For this purpose the Commissioners will also be entitled to issue recommendations under sub-Section (5) of Section 25 to public authorities for taking necessary steps for complying with the provisions of the Act."

"The Writ Petitions (C) No. 990 of 2021 is disposed of with the direction to the Central Information Commission and the State Information Commissions to ensure proper implementation of the mandate of Section 4 of the Act, by following the directions as indicated above."

2 उपर्युक्त कार्यकारी अंश में केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग को आदेशित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा-4 के आलोक में, नियमित अंतराल पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से (जिसके अंतर्गत इंटरनेट, वेबसाइट आदि भी हैं) सूचना प्रकाशित करने के लिये निदेश दें, जिससे कि आम जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम-से-कम सहारा लेना पड़े।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञा.पांक-21/रा०सू०आ०(न्याय)-11/2022 सा.प्र.९०३२/पटना-15, दिनांक-21.5.25
प्रतिलिपि- बिहार सूचना आयोग, पटना को उनके पत्रांक-196, दिनांक-09.05.2025 के
आलोक में एवं आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।



बिहार सूचना आयोग
सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना।
दूरभाष-2215713, 2235059, फ़ैक्स-2235466

C-6055980
10/08/26
146

पत्रांक-1/वि0-05/2023/614..(बि0सू0आ0)/पटना,

दिनांक-06/08/2026

प्रेषक,

डॉ० संजय कुमार,
संयुक्त सचिव,
बिहार सूचना आयोग,
पटना।

सेवा में,

अपर सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित धारा-4 के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भ:-माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition No.-36812/2024 में पारित आदेश के आलोक में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-990/2021 किशन चंद जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक-17.08.2023 को पारित आदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1)(b) के अनुपालन के संबंध में सभी लोक प्राधिकार (विभाग/सक्षम प्राधिकार/प्रमण्डल/जिला/विश्वविद्यालय आदि) को सूचना का स्वप्रेरण प्रकटन का निदेश दिया गया है।

उक्त अनुपालन हेतु पूर्व में बिहार सूचना आयोग कार्यालय के पत्रांक-653, दिनांक-22.10.2024, पत्रांक-196, दिनांक-09.05.2025 एवं पत्रांक-1734, दिनांक-06.03.2026 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। किंतु अभी भी लोक प्राधिकारों द्वारा धारा-4 के अनुपालन में वांछित सूचना का स्वप्रेरण से प्रकटन समुचित माध्यम से नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में सभी लोक प्राधिकार (विभाग/सक्षम प्राधिकार/प्रमण्डल/जिला/विश्वविद्यालय आदि) को अपने स्तर से निर्देशित एवं उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

06/08/2026
(डॉ० संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

5065
27/8/26